

देहरादून **विज्ञापित** दिनांक: 24 फरवरी, 2026

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त के रिक्त 01 (एक) पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**आर्हता :-**  
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 13 (3) में उल्लिखित प्राविधानानुसार:-

- (1) उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, जो सचिव स्तर एवं श्रेणी अथवा उसके समकक्ष श्रेणी के हों। अथवा
- (2) राज्य की किसी सेवा में उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं के समकक्ष श्रेणी एवं स्तर पर सेवायें प्रदान करने वाले अधिकारी। अथवा
- (3) लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिन्हें लोक प्रशासन अथवा दर्शनशास्त्र में शोध कार्य का अनुभव हो। अथवा
- (4) किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि तक अध्यापन कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति। अथवा

(5) ऐसे व्यक्ति, जो किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों।

**2. आयुक्त की सेवा की कार्यावधि और सेवा शर्त :-**  
सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 एवं यथासंशोधित अधिनियम-2023, की धारा 15 के अधीन निर्धारित होगी।

**3. वेतन:-** आयुक्त की सेवा की शर्त और निबंधन तथा संदेय वेतन और भत्ते राज्य के सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं. 57 /XXX (6) / 2020-20(02)14, दिनांक 27.07.2020 में अधिकथित, के समरूप होंगे।

**4. आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग को कतिपय परिस्थितियों में उनके पदों से निलंबित किया जाना और हटाया जाना उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 16 की संश्लेष उपधाराओं में उल्लिखित रीति से किया जायेगा।**

**5. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन, कार्यालय कक्ष संख्या-301, उत्तराखण्ड सचिवालय, 04. सुभाष रोड, देहरादून, को संबोधित अपना आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में विज्ञापित की तिथि से एक माह के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।**

**नोट:-** अधिक जानकारी हेतु उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट [www.urtsc.uk.gov.in](http://www.urtsc.uk.gov.in) पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नितेश कुमार झा  
सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून में आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम: .....
2. जन्म तिथि: .....
3. स्थायी पता: .....
4. वर्तमान पता: .....
5. सम्पर्क माध्यम: .....
- (क) दूरभाष संख्या: ..... (एस०टी०डी० कोड सहित)
- (ख) मोबाईल नं०: .....
- (ग) ई-मेल पता: .....

6. (1) उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत/सेवानिवृत्त, सचिव के स्तर और श्रेणी सेवाओं का विवरण अथवा

(2) राज्य की किसी सेवा में उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं में की गयी समकक्ष श्रेणी और स्तर में सेवाओं का विवरण

अथवा

(3) लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिनके पास लोक प्रशासन में, दर्शन शास्त्र में शोध कार्य करने का विवरण।

अथवा

(4) किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन कार्य करने का अनुभव, का विवरण।

अथवा

(5) ऐसे व्यक्ति, जो किसी अन्य मामले में प्रतिष्ठित हों, का विवरण।

7. विशिष्टता का क्षेत्र: .....

8. धारित पद के कार्यदायित्व: .....

9. विशिष्ट कार्य / उपलब्धियां / अनुभव (अधिकतम 01-01 पृष्ठ में): .....

10. घोषणा-  
उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि कोई सूचना/तथ्य असत्य एवं भ्रामक पाया जाय तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक  
स्थान

हस्ताक्षर  
पूरा नाम

देहरादून

विज्ञापित

दिनांक: 24 फररी, 2026

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त के रिक्त 01 (एक) पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**आर्हता :-**  
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 13 (2) में उल्लिखित प्राविधानानुसार:-

(1) उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव / मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) अथवा  
(2) भारत सरकार के सचिव स्तर के किसी अधिकारी की श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी।

**2. मुख्य आयुक्त की सेवा की कार्यावधि और सेवा-शर्त**  
सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 एवं यथासंशोधित अधिनियम-2023, की धारा 15 के अधीन निर्धारित होगी।

**3. वेतन:-** मुख्य आयुक्त की सेवा की शर्त और निबंधन तथा संदेय वेतन और भत्ते राज्य के सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं. 57 /XXX(6) / 2020-20 (02) 14, दिनांक 27.07.2020 में अधिकथित, के समरूप होंगी।

**4. मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग को कतिपय परिस्थितियों में उनके पदों से निलंबित किया जाना और हटाया जाना उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 16 की संश्लेष उपधाराओं में उल्लिखित रीति से किया जायेगा।**

**5. मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन, कार्यालय कक्ष संख्या-301, उत्तराखण्ड सचिवालय, 04 सुभाष रोड, देहरादून, को संबोधित अपना आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में विज्ञापित की तिथि से एक माह के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।**

**नोट:-** अधिक जानकारी हेतु उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट [www.urtsc.uk.gov.in](http://www.urtsc.uk.gov.in) पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नितेश कुमार झा  
सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून में मुख्य आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम: .....
2. जन्म तिथि: .....
3. स्थायी पता: .....
4. वर्तमान पता: .....
5. सम्पर्क माध्यम: .....
- (क) दूरभाष संख्या: ..... (एस०टी०डी० कोड सहित)
- (ख) मोबाईल नं०: .....
- (ग) ई-मेल पता: .....

6. मुख्य आयुक्त हेतु:  
(1) उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव / मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) सेवाओं का विवरण। अथवा

(2) भारत सरकार के सचिव स्तर पर की गई सेवाओं का विवरण।

6. विशिष्ट कार्य / उपलब्धियां / अनुभव (अधिकतम 01-01 पृष्ठ में): .....

7. घोषणा-  
उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि कोई सूचना/तथ्य असत्य एवं भ्रामक पाया जाय तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक  
स्थान

हस्ताक्षर  
पूरा नाम